पत्र संख्या-विधि-2(1)-केन्द्रीय बिक्रीकर-8(5)-172-(2008-09)/ 277/ 0910026 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: जून 26 ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय ::जॉब वर्क प्रेषित / प्राप्त माल के लिए फार्म-एफ के सम्बन्ध में।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए कि व्यापारियों को कतिपय राज्यो से जॉबवर्क के सम्बन्ध में फार्म-एफ प्राप्त नही हो पा रहे हैं जिसके प्रमुख कारण उन राज्यो में इस संव्यवहार पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 6क लागू न होने का उनका मत तथा जॉबवर्क करने वाले व्यक्ति के छोटे स्तर के होने के कारण अथवा / अन्यथा सम्बन्धित राज्यो में पंजीकृत न होना है।

इस सम्बन्ध में प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था। शासन के पत्र संख्या क0नि0-1013/ग्यारह-2-2009-9(134)/2000 दिनांक 24-6-2009 द्वारा ऐसे मामलों में न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त करके निम्न निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित किया है :-

"ऐसे मामलो में जहां प्रदेश के व्यापारी को दूसरे राज्य में स्थित ट्रांसफरी को, फार्म-एफ जारी नही किये जाने से अथवा जॉबवर्क करने वाला व्यापारी के अपंजीकृत होने की वजह से उसे फार्म-एफ जारी न हो पाने से उत्तर प्रदेश के व्यापारी की बिना किसी गलती के फार्म-एफ प्राप्त नही हो पाता है तो संदर्भित प्रकार के मामलों में कर निर्धारण अधिकारी उभयपक्षों के मध्य हुए संव्यवहारों की जॉच करके कर निर्धारण कार्यवाही गुणदोष के आधार पर पूर्ण करेंगे।"

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।

ह0/-
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र संख्या- क0नि0-1013/ग्यारह-2-2009-9(134)/2000 दिनांक 24-6-2009 के क्रम में प्रेषित।

ह0/-
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।